बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, पटना

(बिस्कोमान)

आदेश

कार्यालय आदेश ज्ञापांक–स्था॰/58/बी/93 दिनांक 16.04.2013 द्वारा श्री सुरेश सिंह, सहायक भंडार प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी अधिप्राप्ति केन्द्र, मैरवा को कतिपय कारणों से निलंबित कर इनका मुख्यालय स्थापना शाखा, बिस्कोमान, पटना में किया गया तथा कार्यालय आदेश ज्ञापांक स्था॰/58/एम/1369 दिनांक 13.06.2013 द्वारा श्री सिंह को बिहार सेवा संहिता के नियम 74(2) के तहत निहित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा अनिवार्य सेवा निवृति दी गई। अवैध एवं मनमाने ढ़ंग से अनिवार्य सेवा निवृति देने की कार्रवाई के विरूद्ध कार्मिकों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन/हड़ताल (दिनांक 03.07.2013 से 23.07.2013 तक) को समाप्त कराने के लिए हुई वार्त्ता में प्रबंधन (माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कार्मिकवार मामले में गुण–दोष के आधार पर न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा। दिनांक 16.08.2013 को सम्पन्न निदेशक पर्षद की बैठक प्रस्ताव संख्या अन्यान्य–V में भी यथाशीघ्र निर्णय लेने हेतु माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया गया है। तद्नुसार श्री सुरेश सिंह को दी गई निलंबन एवं अनिवार्य सेवा निवृति के मामलें पर विचार किया गया, स्थिति निम्नवत है:–

(क) बिहार सेवा संहिता के नियम–74 (क) में प्रावधान है कि ''राज्य सरकार किसी सरकारी सेवक को जिसने अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख से कर्त्तव्य के 21 वर्ष और कुल सेवा के 25 वर्ष पूरे किये हों सेवा–निवृति करा सकती है, यदि वह समझे कि उसकी कार्य–क्षमता या आचार ऐसा नहीं है, जिससे उसे सेवा में बनाये रखना न्याय हो। जहॉ किसी सरकारी सेवक से इस प्रकार सेवा निवृति की अपेक्षा की जाए वहॉ किसी विशेष क्षतिपूर्त्ति के लिए कोई दावा स्वीकार न किया जाएगा।

74 (ख)(i) पूर्ववर्त्ती उप–नियम में किसी बात के होते हुए भी कोई सरकारी सेवक सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी को कम–से–कम तीन माह पहले लिखित सूचना देकर उस तिथि को जिस दिन उसकी अवधि सेवा तीस वर्ष पूरी हो जाए अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले अथवा उसके बाद किसी भी तिथि को जो सूचना में निर्दिष्ट की गई हो सेवा निवृति हो सकता है। ''परन्तु कोई निलंबित सरकारी सेवक राज्य सरकार के विशिष्ट अनुमोदन के पश्चात ही सेवा–निवृति हो सकता है अथवा नहीं।

(ख) बिस्कोमान की उप विधि की धारा–42(2) में प्रावधान है कि "The Managing Director shall be responsible for the general administration of the union subject to the general order and special directions of the Board of Directors and working committee."

(ग) (i) बिस्कोमान की उप विधि की क्लाउज 43(8) में प्रबंध निदेशक के अधिकारों का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि:– "To appoint, suspend punish or dismiss any salaried staff of the union and to prescribe and assign

duties to them subject to the rules of Business framed by the Board with the approval of Registrar Co-operative Societies, Bihar."

(ii) बिस्कोमान स्टॉफ रेगुलेशन जो निबंधक सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना से अनुमोदित है के सेक्सन G(iv) में उल्लेखित है कि "The Services of a permanent employee may be terminated by the Board when no longer required or when he is found medically unfit for work after giving him 3 months notice or pay in lieu thereof."

(iii) बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935, की धारा 14(3) में भी स्पष्ट है कि "An officer of the State Govt. if deputed to a registered society either as a Managing Director, Executive officer or in similar position shall be the chief executive thereof and subject to general direction and control of the Managing committee shall have the following powers and functions."

(iv) बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा–14 (3)(ix) में निहित है कि To appoint, promote, transfer, punish, suspend, remove or dismiss any paid employee of the registered society except to the extent of the powers vested in the Managing Committee under the bye-laws of the registered society.

(v) इस आशय की पुष्टि निबंधक सहयोग समितियॉ, पटना के ज्ञापांक 5976 दिनांक 22.11.2012 के द्वारा भी की गई है जो निम्नवत् है ''बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा–14 (3)(IX) एवं बिस्कोमान की उप विधि 43(9) से स्पष्ट है कि लिपिकीय एवं अधिनस्थ कार्मिकों के वर्ग में निलंबन अथवा अर्थ दण्ड देने के अतिरिक्त सभी मामलों में निदेशक पर्षद का अनुमोदन अपेक्षित है।

(vi) विवाद वाद संख्या 57/2011 जय प्रकाश सिंह बनाम अध्यक्ष, बिस्कोमान, पटना में दिनांक 31.07.2013 को सुनवाई के बाद न्यायालय निबंधक सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना के द्वारा ज्ञापांक 90/RL दिनांक 27.08.2013 में उल्लेख है ''इस न्यायालय का विचार है कि निलंबन कोई सजा नहीं है। जहॉ तक डिसमिस किये जाने का प्रश्न है, बिना प्रोसिडिंग के डिसमिस किये जाने को निरस्त किया जाता है।''

श्री सिंह की संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री सिंह को मुख्यालय आदेश ज्ञापांक– स्था०/58/एम/311 दिनांक 16.04.2013 में वर्णित निदेश की अवहेलना कर ₹ 42,27,219/– की निकासी करने के लिए दिनांक 24.04.2013 तक स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया गया है, परन्तु दूसरी तरफ उसी तिथि (दिनांक 16.04.2013 को हीं) श्री सिंह को निलंबित कर दिया गया है तथा आरोप पत्र अलग से निर्गत करने का आदेश दिया गया है। परन्तु बिना आरोप–पत्र निर्गत किये तथा बिना विभागीय कार्यवाही संचालित किये सीधे अनिवार्य सेवा–निवृति दे दी गई है, जो नैसर्गिक न्याय के प्रावधानों के प्रतिकुल है।

उक्त तथ्यो के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि श्री सुरेश सिंह, सहायक भंडार प्रबंधक को तत्कालीन प्रबंध निदेशक के द्वारा अनिवार्य सेवा–निवृति संबंधी आदेश में आरोप के बिन्दु निहित है जिसके संबंध में श्री सिंह से किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं की गई है। उक्त आदेश निदेशक पर्षद से अनुमोदित भी नहीं है जो नियमानुसार

आवश्यक है। अतः निदेशक मंडल के दिनांक 16.08.2013 के बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में श्री सुरेश सिंह अनिवार्य सेवा–निवृत सहायक भंडार प्रबंधक के संबंध में निर्गत अनिवार्य सेवा–निवृति आदेश ज्ञापांक स्था॰/58/एम/1369दिनांक 13.06.2013 को निम्न शर्त्तों के साथ निरस्त किया जाता हैः–

1. "No Work No Pay" के सिद्धान्ततः श्री सिंह से सहमति प्राप्त कर लिया जाए कि बिस्कोमान की सेवा में नहीं रहने की अवधि हेतु किसी प्रकार का वेतन भुगतान उन्हें मान्य नहीं होगा। परन्तु यह अवधि उनके सेवा में टूट न होकर असाधारण अवकाश की श्रेणी में आयेगी।
2. निलंबन आदेश ज्ञापांक– स्था॰/58/बी/93 दिनांक 16.04.2013 के आलोक में श्री सिंह निलंबित रहेंगे तथा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नियमानुसार संचालित कर निर्णय लिया जाएगा।
3. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय वरीय क्षेत्रीय कार्यालय, बिस्कोमान, सिवान होगा। नियमानुसार इन्हें निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

19/11

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः–स्था॰-स॰अ॰प्र॰-58-एम-2552 दिनांकः–19-11-2013

प्रतिलिपिः–

1. श्री सुरेश सिंह, सहायक भंडार प्रबंधक(नि॰), ग्राम+पो॰– अजना, थाना– लार, जिला– देवरिया (उ॰प्र॰) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय क्षेत्रीय पदाधिकारी/वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
4. सभी पदाधिकारी मुख्यालय, पटना, को सूचनार्थ।
5. मुख्य लेखा/लेखा पदाधिकारी (स्थापना लेखा), बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
6. प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग/डाटा ऑपरेटर, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. माननीय अध्यक्ष, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।

19.11.13

सचिव